भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3861
11.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

भारी उद्योग कार्यबल के लिए कौशल विकास

3861. डॉ. हेमंत विष्णु सबरा:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारी उद्योग और विनिर्माण क्षेत्रों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र के पालघर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में, कौशल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कौशल विकास और पुनः कौशल कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से विशेष रूप से महाराष्ट्र के पालघर जिले में कोई विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): भारी उद्योग मंत्रालय ने भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन स्कीम के अंतर्गत कौशल विकास के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

1. उद्योग 4.0 को बढ़ावा देने के लिए चार स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (समर्थ) केंद्रों की स्थापना।
2. उन्नत वेल्डिंग प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), त्रिची स्थित वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) में कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर (सीईएफसी) की स्थापना।

3. ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एएसडीसी) द्वारा 23 अर्हता पैकेज विकसित किए गए।
4. कैपिटल गुड्स एंड स्ट्रैटेजिक स्किल्स काउंसिल (सीजीएसएससी) द्वारा 23 अर्हता पैकेज विकसित किए गए।
5. इंडियन आयरन एंड स्टील सेक्टर स्किल काउंसिल (आईएएससी एसएससी) द्वारा 12 अर्हता पैकेज तैयार किए गए।

इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, एमएसडीई ने अपनी विभिन्न स्कीमों एवं पहलों के माध्यम से कौशल विकास पारितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अनेक पहल की हैं। एमएसडीई द्वारा प्रशासित प्रमुख स्कीमों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) तथा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) शामिल हैं, जिनका कार्यान्वयन भारी उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है।.

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत पालघर जिले में स्कीम के प्रारंभ से अब तक कुल 4,240 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इनमें से, वित्त वर्ष 2022-23 से 30.06.2026 तक कार्यान्वित स्कीम के नवीनतम संस्करण पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत 1,057 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ख): भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत समर्थ केंद्रों के माध्यम से लगभग 33,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा डब्ल्यूआरआई, बीएचईएल, त्रिची स्थित सीईएफसी के माध्यम से पिछले तीन वर्षों के दौरान 8,600 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।.

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा अपनी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पीएमकेवीवाई 4.0 योजना का वर्तमान संस्करण है, जिसका कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2022-23 से किया जा रहा है। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान 27,31,699 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत वस्तु एवं विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के विभिन्न पाठ्यक्रमों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में कुल 12,53,158 अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ है।

(ग) और (घ): एमएसडीई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 मांग-आधारित योजना है, जिसके अंतर्गत उद्योग-आधारित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर तथा कौशल अंतराल को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) का प्रत्यायन/संबद्धीकरण किया जाता है। तदनुसार, पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत पालघर जिले में 30.06.2026 तक कुल 1,057 अभ्यर्थियों में से 411 अभ्यर्थियों को 6 सूचीबद्ध शैक्षणिक संस्थानों (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), जवाहर नवोदय विद्यालय, राज्य सरकार के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय तथा विद्यालय शामिल हैं) के माध्यम से भारी उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

****